पोस्त फसल की खेती के लिए आवेदनों का आमंत्रण

भारत सरकार ने अफीम पोस्त की फसल से सांद्र पोस्त भूस (सीपीएस) का उत्पादन करने के लिए और उसके बाद ऐसे सीपीएस से क्षारोद का निष्कर्षण करने के लिए एक उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए बोलीकर्ताओं से प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) जारी किया है। अन्य बातों के अलावा बोलीकर्ताओं की जिम्मेदारी में पोस्त बीज के विभिन्न किस्मों का भारतीय परिस्थितियों में परीक्षण करना भी शामिल है जिससे कि वाणिज्यिक खेती के लिए उपयुक्त किस्मों का चयन किया जा सके। उद्योगों के स्टेकहोल्डरों और भावी बोलीकर्ताओं के साथ परामर्श करने के पश्चात यह निर्णय लिया गया है कि भावी बोलीकर्ताओं को अफीम पोस्त की फसल के विभिन्न प्रकारों का खेतों में परीक्षण करने के लिए अनुमति दे दी जाएगी। तदनुसार सीपीएस का उत्पादन करने के लिए और ऐसे सीपीएस से क्षारोद का निष्कर्षण करने के लिए अफीम पोस्त फसल की परीक्षणपरक खेती करने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं-

i. खेती का क्षेत्र दो हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा।
ii. भावी बोलीकर्ता मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में किसी भी प्लाट/ प्लाटों का खेती के लिए चयन करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
iii. केन्द्र सरकार एनडीपीएस रूल्स, 1985 के नियम 8 (2) के अनुसार पोस्त भूस के उत्पादन के लिए अफीम पोस्त की खेती के लिए भावी बोलीकर्ताओं को लाइसेंस प्रदान करेगी।
iv. भावी बोलीकर्ताओं को एनडीपीएस रूल्स, 1985 के नियम 36क के अनुसार सीपीएस का उत्पादन करने के लिए लाइसेंस जारी करके उनको उनके इच्छा के अनुसार किसी स्थान/ कारखाना में सीपीएस का निष्कर्षण करने की अनुमति दी जाएगी।
v. यदि भावी बोलीकर्ता सीपीएस का निर्यात करना चाहता है तो इसके लिए एनडीपीएस रूल्स, 1985 के अध्याय VI के प्रावधानों के अधीन रहते हुए अनुमति दे दी जाएगी।
vi. भावी बोलीकर्ता समय-समय पर लागू किसी भी कानून के अंतर्गत यथा अपेक्षित विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए दायी होंगे।
vii. परीक्षण की कुल अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी हालांकि भावी बोलीकर्ता के लिए इस दो वर्ष की अवधि में प्रत्येक मौसम/ फसल के लिए अलग से लाइसेंस प्राप्त करना जरूरी होगा।
viii. आवेदनों को संलग्न अनुबंध-I में दिए गए प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। राजस्व विभाग द्वारा एक बार आवेदन स्वीकार कर लिए जाने पर आवेदक स्वापक आयुक्त के पास एनडीपीएस रूल्स के अनुसार खेती करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन करेंगे।
ix. परीक्षणपरक उत्पादन का जो भी परिणाम होगा और जो भी उपज होगी उससे संबंधित जानकारी को केन्द्र सरकार के अनुबंध-2 में दिये गये प्रपत्र में सूचित किया जाएगा।

x. आवेदक एक लाख रूपये की ईएमडी जमा करेगा और उसको परीक्षण के समाप्त होने के पश्चात वापस कर दिया जाएगा।

भावी बोलीकर्ता यदि परीक्षण संबंधी लाइसेंस प्राप्त करना चाहता है तो उसे 25 सितम्बर, 2017 को या उसके पहले राजस्व विभाग के पास आवेदन करना होगा। आवेदन को निम्न पते पर प्रस्तुत किया जाना होगा।

उप सचिव (स्वापक नियंत्रण)
कमरा सं. 48-सी
नई दिल्ली- 110001

xi राजस्व विभाग यदि जरूरी समझे तो किसी भी आवेदन को निरस्त करने का अधिकार अपने पास रख सकता है।